



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) 4966/2007

**याचिकाकर्ता:**

जसपाल बाघ यादव, आत्मज स्व. श्री मधुसूदन बाघ यादव, आयु लगभग 42 वर्ष, प्रोपराइटर मेसर्स जय श्री श्याम रोड कैरियर्स एचपीसी बल्क पीओएल ट्रांसपोर्टर (ट्रांसपोर्टर कोड 28008640) कालिका नगर, तिफरा, बिलासपुर, निवासी तिफरा, कालिका नगर, बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छ.ग.)

**-विरुद्ध-**

**उत्तरवादीगण:**

1. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम), द्वारा इसके प्रबंध निदेशक, पंजीकृत कार्यालय 17, जमशेदजी टाटा रोड, मुंबई 400020 (म.स.)
2. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मदीना मंजिल, द्वितीय तल, मेडिकल कॉलेज रोड, पी.बी. क्रमांक 129, रायपुर (छ.ग.)
3. डिपो प्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिलासपुर (छ.ग.)
4. विक्रय अधिकारी, बिलासपुर विक्रय क्षेत्र, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिलासपुर (छ.ग.)

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत उपयुक्त रिट/रिटें,  
आदेश/आदेशों, निर्देश/निर्देशों आदि जारी करने हेतु रिट याचिका)

युगल पीठ: माननीय श्री एल.सी. भादू एवं  
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्तिगण

दिनांक 22.01.2008

उपस्थिति:



- याचिकाकर्ता की ओर से श्री के.ए. अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री इम्तियाज अली, अधिवक्ता।
- उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 की ओर से श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता के साथ श्री सौरभ शर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण द्वारा विवाद को एकमात्र मध्यस्थ को प्रेषित किये जाने हेतु माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1996') की धारा 8 के तहत प्रस्तुत अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 3 पर सुनवाई की गई।

याचिकाकर्ता ने दिनांक 28.07.2006 को 2 वर्ष की अवधि के लिए पेट्रोलियम

उत्पादों के परिवहन हेतु उत्तरवादीगण के साथ एक करार किया था। ऐसा प्रतीत होता है

कि इस अवधि के दौरान पक्षकारों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुआ और याचिकाकर्ता द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में उसे करार-पी/1, पी/6 और पी/10 के

माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। तत्पश्चात, उत्तरवादीगण द्वारा

दिनांक 11.05.2007 को करार-पी/16 के माध्यम से करार समाप्त कर दिया गया।

याचिकाकर्ता द्वारा इसी आदेश को इस रिट याचिका में प्रश्नगत किया गया है।


उत्तरवादीगण की ओर से अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 3 के रूप में प्रारंभिक आपत्ति

दर्ज की गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पक्षकारों ने एक करार किया था

जिसके तहत याचिकाकर्ता को करार प्रदान किया गया था। यह उल्लेख किया गया है

कि करार के खंड 16 के अनुसार, एक माध्यस्थम खंड अंतःस्थापित किया गया है

जिसके द्वारा पक्षकारों के बीच यह सहमति हुई है कि इस करार के तहत या इसके संबंध





में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, विवादों और मतभेदों को कंपनी के निदेशक (विपणन) की एकमात्र मध्यस्थता के लिए प्रेषित किया जाएगा। यदि ऐसा निदेशक (विपणन) एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है, तो प्रकरण को ऐसे निदेशक (विपणन) द्वारा उनके स्थान पर कंपनी के किसी अन्य अधिकारी को एकमात्र मध्यस्थता हेतु प्रेषित किया जाएगा, जो ऐसे एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक हो।

उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तरवादीगण ने यह आवेदन (अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 3) प्रस्तुत किया है, क्योंकि करार में पहले से ही माध्यस्थम खंड मौजूद है, इसलिए अधिनियम, 1996 की धारा 8 के उपबंधों के दृष्टिगत प्रकरण को एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित किया जा सकता है।

कुछ समय तक तर्क देने के पश्चात, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अंततः तर्क दिया कि यदि अधिनियम, 1996 की धारा 8 के उपबंधों और करार के खंड-16 के निबंधनों के अनुसार प्रकरण को एकमात्र मध्यस्थ को प्रेषित किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

परंतु, उनकी कठिनाई यह है कि करार करने के पश्चात, याचिकाकर्ता ने पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने हेतु भारी वित्तीय व्यय किया है। इसके मध्य में, यदि करार रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि उसके वाहन खड़े हैं, तो करार रद्द होने के कारण उसे भारी वित्तीय हानि होगी, इसलिए मध्यस्थ को



माध्यस्थम कार्यवाही में तेजी लाने और इसे 4 महीने की अवधि के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया जाए।

इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एग्री गोल्ड एक्विजिजन्स लिमिटेड विरुद्ध श्री लक्ष्मी निट्स एंड वोवेन्स एवं अन्य<sup>1</sup>, के प्रकरण की कंडिका-22 में अभिनिर्धारित किया है कि '1996 के अधिनियम की धारा 8 अनिवार्य प्रकृति की है। ऐसे प्रकरण में जहां माध्यस्थम करार अस्तित्व में है, न्यायालय माध्यस्थम करार के निबंधनों के अनुसार पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने हेतु बाध्य है।'

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड एवं अन्य विरुद्ध जूट कॉर्पोरेशन

ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य<sup>2</sup>, के प्रकरण की कंडिका-18 में भी समान अभिमत

व्यक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अब यह सुस्थापित

है कि जब माध्यस्थम खंड मौजूद होता है, तो न्यायालय सामान्यतः अपने

विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि

उच्च न्यायालयों में निहित न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति निस्संदेह व्यापक विस्तार

वाली है, लेकिन जब माध्यस्थम खंड मौजूद हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना

चाहिए।

उपरोक्त निर्णयों के दृष्टिगत और करार में माध्यस्थम खंड को देखते हुए, प्रकरण

को एकमात्र मध्यस्थ को प्रेषित किया जाना आवश्यक है। साथ ही, हमारा यह अभिमत

है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना न्यायसंगत, निष्पक्ष और

1 (2007) 3 SCC 686

2 2007 AIR SCW 6930



उचित है, परंतु यह मध्यस्थ पर निर्भर है कि वह प्रकरण के सभी पहलुओं पर विचार करे और दोनों पक्षकारों को उचित अवसर प्रदान करते हुए कार्यवाही में तेजी लाए और शीघ्रता से पंचाट पारित करे। परंतु, इसके साथ ही, पक्षकार भी मध्यस्थ की सहायता करने, उसके साथ सहयोग करने और शीघ्रता से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कर्तव्यबद्ध और बाध्य हैं ताकि वह जल्द से जल्द पंचाट पारित करने में सक्षम हो सके।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता मध्यस्थ से संपर्क करने और प्रतिवादियों को अग्रिम प्रति के साथ जल्द से जल्द अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करनी चाहिए तथा मध्यस्थ जल्द से जल्द मध्यस्थता कार्यवाही को पूर्ण करेंगे।

इन शब्दों के साथ, प्रकरण को इस आदेश के साथ अंतिम रूप से निराकृत किया जाता है कि दिनांक 28.07.2006 के करार के खंड 16 के आलोक में प्रकरण एकमात्र मध्यस्थ को प्रेषित किया जाता है।

सही/-  
एल.सी. भादू  
न्यायाधीश

सही/-  
सुनील कुमार सिन्हा  
न्यायाधीश

====0000====

**(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)**

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।